

**कार्यालय : राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून**

पत्रांक : SCERT/शि0शि0सेवापूर्व/ 543-46/विज्ञप्ति/दो-1(06)/2021-22, दिनांक 09 जुलाई, 2021

**द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2019-20 में सफल अभ्यर्थियों की प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अन्तिम राज्य स्तरीय काउंसलिंग सम्बन्धी सूचना**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून की विज्ञप्ति संख्या: SCERT/शि0शि0सेवापूर्व/7474-75/विज्ञप्ति/दो-1(06)/2020-21, दिनांक 10 मार्च, 2021 एवं विज्ञप्ति संख्या: SCERT/शि0शि0सेवापूर्व/446-47/विज्ञप्ति/दो-1(06)/2021-22, दिनांक 30 जून, 2021 के द्वारा डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019-20 में सफल अभ्यर्थियों की प्रथम राज्य स्तरीय काउंसलिंग की प्रक्रिया दिनांक 05 अप्रैल, 2021 से 23 अप्रैल, 2021 तक तथा द्वितीय राज्य स्तरीय काउंसलिंग की प्रक्रिया दिनांक 05 जुलाई, 2021 से 09 जुलाई, 2021 तक सम्पादित की गई। उक्त दोनों चरणों की काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को, अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि समस्त अनुपस्थित अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, विकल्प पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं ओ0एम0आर0 में अंकित समस्त वांछनीय प्रमाण पत्रों के साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उत्तराखण्ड, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर, ननूरखेड़ा, देहरादून में दिनांक 20 जुलाई, 2021 से दिनांक 25 जुलाई 2021 तक, उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा एवं इस सम्बन्ध में आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा रिक्त सीट/स्थान प्रतीक्षा सूची से भर दिया जाएगा। काउंसलिंग से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में ही SCERT की वेबसाइट <https://scertuk.gov.in> एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट [www.ubse.uk.gov.in](http://www.ubse.uk.gov.in) तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट [www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

अपर निदेशक

एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड

देहरादून

पृ0सं0 : SCERT/शि0शि0सेवापूर्व/ 543-46 /विज्ञप्ति/दो-1(06)/2021-22 तददिनांक  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान सम्पादक, दैनिक अमर उजाला/दैनिक जागरण/दैनिक हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को 10x7 सेमी0 के साइज में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे, जिसका प्रचार-प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद, जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में, इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक

एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड

देहरादून